संख्या 11030/53/77-स्थापना(11)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
नई दिल्ली, 110001, दिनांक 20 अप्रैल, 1978

सेवा में,

सभी राज्यों के महालेखाकार ।

विषय :- भा० प्र० से०/भा० पु० से० - वेतनमानों का संशोधन - वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन का बढ़ाया जाना और अगली वेतन वृद्धि की तारीख को पहले रखा जाना - अनुपालन की जाने वाली क्रियाविधि से संबंधित अनुदेश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 17-11-76 के पत्र संख्या 11030/22/76-अ०भा० से०(11) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के पैरा 2 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार/विभागाध्यक्ष से प्राधिकार मिलने पर संबंधित महालेखाकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन को बढ़ाया जाना चाहिए अथवा उनकी वेतनवृद्धि की अगली तारीख को उनके कनिष्ठ व्यक्तियों की वेतन वृद्धि की तारीख से पहले कर दिया जाना चाहिए । इस विभाग की जानकारी में यह बात लाई गई है कि कुछ राज्य सरकारों ने अपने राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में हकदारी के कार्यों को उसी प्रकार अपने अधिकार में ले लिया है जिस प्रकार भारत सरकार ने इस्टेब्लिशमेंट बिलों के माध्यम से राजपत्रित/अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों का कार्यालयाध्यक्षों द्वारा आहरण तथा वितरण की संशोधित क्रियाविधि को अपनाया है । ऐसे मामलों में, संबंधित महालेखाकार द्वारा वेतन बढ़ाए जाने अथवा अगली वेतनवृद्धि की तारीख को पहले किए जाने का प्रश्न नहीं उठता । यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में संबंधित राज्य सरकार/विभागाध्यक्ष से प्राधिकार प्राप्त होने पर ही संबंधित विभागीय प्राधिकारी/संबंधित वेतन तथा लेखा कार्यालय द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन को बढ़ाया जाना चाहिए अथवा अगली वेतनवृद्धि की तारीख को उनके कनिष्ठों की वेतनवृद्धि की तारीख से पहले कर दिया जाना चाहिए ।

इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(सही)

(कि० एल० नेगी)

अवर सचिव, भारत सरकार ।